FEATCHERS-

महा गौरी Introduces समझ Application For LIVE Online Master Classes Is An Incredibly Personalized Tutoring Platform For You, While You Are Staying At Your Home. We Have Grown Leaps And Bounds To Be The Best Online Tuition Website In Amarpatan With Immensely Talented Teachers, From The Most Reputed Institutions.

TALLY.ERP9

SMART TALLY WITH G.S.T. ACCOUNTANT

ATUL PANDEY

HEAD OF THE INSTITUTION

POWERD BY-SAMAJH APP

--GST--

जी एस टी(GST) या वस्तु एवं सेवा कर : एक आसान व्याख्या

वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो रही है | लेकिन जी एस टी क्या है और यह वर्तमान टैक्स संरचना को कैसे सुधार देगा? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत को एक नए टैक्स सिस्टम की आवश्यकता क्यों है?

जी एस टी (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाना था। इस लेख में जी एस टी (GST), उसकी प्रमुख अवधारणाओं और जहां यह वर्तमान में है, उसका पूरा अवलोकन दिया गया है।

TALLY.ERP9 WITH GST.

GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स (goods & service tax) जो कि एक Indirect tax है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागु किया गया है। जीएसटी सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है (जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है). भारत में जीएसटी को लाने का सबसे पहले प्रस्ताव केलकर कमिटी ने वर्ष 2004 में दिया था।

जी एस टी क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम 'बहु-स्तरीय' शब्द के साथ शुरू करें |कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है |पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना |दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है |फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है |इसके बाद, उत्पाद रीटैलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है |और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है |यदि हम विभिन्न चरणों का एक सचित्र विवरण देखें, तो ऐसा दिखेगा:

जीएसटी लागू करने के बाद कई तरह के अप्रत्यक्ष कर (indirect Taxes) को समाप्त कर दिया गया है जैसे कि -

1. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी & एडिशनल एक्साइज ड्यूटी
2. सर्विस टैक्स
3. एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन & टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट

4. कांउटर वैलिंग ड्यूटी (CVD) एंड स्पेशल काउंटर वैलिंग ड्यूटी (Special CVD)
5. सेंट्रल सेल्स टैक्स (CST)
6. सरचार्ज एंड सेस (Relates to सप्लाई एंड गुड्स)
7. स्टेट सरचार्ज एंड सेस (Relates to सप्लाई एंड गुड्स)
8. एंटरटेनमेंट टैक्स
9. लाटरी, बेटिंग, और गैंबलिंग पर टैक्स
10. एंट्री टैक्स
11. Purchase टैक्स
12. वैट/ सेल्स टैक्स
13. लक्ज़री टैक्स
14. टैक्सेज ऑन Advertisement .

What is Types of GST– (जीएसटी के प्रकार)-

गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम में जीएसटी के प्रकार - -

1. CGST (सेंट्रल गुड्स & सर्विस टैक्स) - Payable to Central Government
2. SGST (स्टेट गुड्स & सर्विस टैक्स) - Payable to State Government
3. IGST (इंटीग्रेटेड गुड्स & सर्विस टैक्स) – Payable to Central Government

एक स्टेट से उसी स्टेट के भीतर (Intra State Supply) गुड्स & सर्विसेज की सप्लाई करने पर Cgst & Sgst लगाए जाते है जबकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट (Inter State Supply) में गुड्स & सर्विसेज की सप्लाई करने पर IGST लगाया जायेगा।

लेकिन इन taxes के अलावा कुछ निर्धारित प्रोडक्ट्स पर जीएसटी compensation cess भी लगाया जायेगा। यह cess सेंट्रल सेल्स टैक्स के स्थान पर लगाया जायेगा।

GST के प्रकार		
Transaction	**GST सिस्टम**	**पुरानी सिस्टम**
सिर्फ राज्य में बिक्री	CGST & SGST	VAT & Excise / ST
राज्य के बहार बिक्री	IGST	CST & Excise / ST

geekhindi.com

GST bill में शामिल कि गई वस्तु की tax rate | GST tax rate details

Indian Government ने GST में कुल मिलाकर 1,211 products को अलग अलग categories में divide किया है। इन सभी products को 0% , 5%, 12%, 18%, और 28% कि categories में divide किया है।

1) 0% GST slab , No Tax में शामिल किए गए Products

0% GST slab , No Tax में शामिल किए गए Products	
वस्तुए (Goods)	**सेवाए (Services)**
जूट, ताजा मांस, मछली चिकन, अंडे, दूध, मक्खन, दही, प्राकृतिक शहद, ताजे फल और सब्जियां, आटा, बेसन, रोटी, प्रसाद, नमक, बिंदी जैसी वस्तुओं पर कोई कर लगाया नहीं जाएगा। सिंदूर, डाक टिकट, न्यायिक कागजात, मुद्रित किताबें, अख़बार, चूड़ियाँ, हथकरघा, हड्डियां और सींग कोर, हड्डी की पिटाई, हड्डी भोजन आदि। खुर भोजन, सींग भोजन, अनाज अनाज hulled, Palmyra गुड़, नमक - सभी प्रकार, काजल, बच्चों की तस्वीर, चित्र या रंगीन किताबें, मानव बाल।	1,000 रुपये से कम टैरिफ के साथ होटल और लॉज, ग्रैंडफादरिंग सर्विस जीएसटी के तहत छूट दी गई है। असल कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों में 0.25 प्रतिशत की जीएसटी दर को आकर्षित किया जाएगा। geekhindi.com

2) 5% GST slab में शामिल किए गए Products

5% GST slab में शामिल किए गए Products	
वस्तुए (Goods)	**सेवाए (Services)**
मछली पट्टिका, 1000 रुपये से नीचे का परिधान, पैक किए गए खाद्य पदार्थों, 500 रुपये से निचे के जूते, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा रोटी, रस्क, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट, लाइफबोट्स, काजू, राईसिन, बर्फ और बर्फ, जैव गैस, इंसुलिन, अगरबत्ती, पतंग, डाक या राजस्व टिकटें, स्टांप-पोस्ट के निशान, पहले दिन के कवर।	परिवहन सेवाएं (रेलवे, हवाई परिवहन), छोटे रेस्टोरंट। geekhindi.com

3) 12% GST slab में शामिल किए गए Products

12% GST slab में शामिल किए गए Products	
वस्तुए (Goods)	**सेवाए (Services)**
1000 रुपये से ऊपर परिधान, जमे हुए मांस उत्पादों, मक्खन, पनीर, घी, पेक किय हुए सूखे फल , पशु चर्बी, सॉसेज, फलों के रस, भूटिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, दांत पाउडर, अगरबत्ती, रंगीन किताबें, चित्र किताबें, छतरी, सिलाई मशीन, सेलफोन, केचप और सॉस, सभी नैदानिक किट और अभिकर्मक, व्यायाम किताबें और नोट किताबें, चम्मच, कांटे, तलवारें, स्कीमार्स, केक सर्वर, फिश चाकू, चिमटे, चश्मा, सुधारात्मक, बजाना कार्ड, शतरंज बोर्ड, कार्मो बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम, जैसे ल्यूडो।	गैर एसी होटल, बिजनेस क्लास एयर टिकट, उर्वरक, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। geekhindi.com

4) 18% GST slab में शामिल किए गए Products

18% GST slab में शामिल किए गए Products	
वस्तुए (Goods)	**सेवाए (Services)**
500 रुपये से अधिक की लागत वाली जूते, बिड़ी पत्ता, बिस्कुट (सभी कैटोगरीज़), सुगंधित शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लक्स, पेस्ट्री और केक, प्रिसर्व सब्जियां, जाम, सॉस, सूप, आईसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्स, मिनरल वाटर, टिशु, लिफाफे, टैम्पोन, नोट बुक, स्टील उत्पाद, मुद्रित सर्किट, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर, काजल पेंसिल स्टिक, हेडगियर और इसके भाग, एल्यूमिनियम फ़ॉइल, वजन करने की मशीन [बिजली या इलेक्ट्रॉनिक के अलावा]।	AC होटल्स जो शराब बेचती है, दूरसंचार सेवाएं, आईटी सेवाए, ब्रांडेड वस्त्र और वित्तीय सेवाए। geekhindi.com

5) 28% GST slab में शामिल किए गए Products

28% GST slab में शामिल किए गए Products	
वस्तुए (Goods)	**सेवाए (Services)**
बिडि, चुइंग गम , गुड़, चॉकलेट,चोकलेट कोटेड वफ़ल और वेफर्स, पान मसाला, सोडा वाटर, पेंट, डिओडोरेंट, शेविंग क्रीम, शेविंग बाद लगाने वाली वस्तुए, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सिरेमिक टाइलें, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, वजनी मशीन, वाशिंग मशीन, ATM, वेंडिंग मशीन, वेक्यूम क्लीनर, शेवर, हेयर क्लिप, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान।	5 सितारा होटल, रेस क्लब सट्टेबाजी, सिनेमा। geekhindi.com

GST से सस्ती या महंगी होने वाली वस्तुओं की लिस्ट।

GST Cheaper and Costlier Items List

सस्ती वस्तुए	महंगी वस्तुए
ऑटो : टू व्हीलर, बड़ी कार, व्हाइट गुड्स और एसयूवी	**ऑटो** : छोटी कारें थोड़ा महंगा हो जाएंगी क्योंकि अब वे 28 प्रतिशत कर ब्रैकेट के नीचे आ जाएंगे।
ब्रांडेड वस्तुए : जीएसटी के तहत, ब्रांडेड माल 18 फीसदी पर लगाया जाएगा। वर्तमान में, इन सामानों पर 23-24 प्रतिशत के आसपास काटा जाता है।	**चाय, कॉफी, मसाला** : जीएसटी के तहत – 5 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। वर्तमान में, वे 3-4 प्रतिशत पर कर लगाए जाते हैं।
होटल : यात्रियों के लिए अच्छी खबर, होटल पर अब सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स होगा. केवल 5,000 रुपये के साथ केवल उच्च अंत वाले होटलों में 28 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 1,000 रुपये से कम टैरिफ वाले होटल को जीएसटी से छूट है। वर्तमान में, होटल पर 22 प्रतिशत लगाया जाता है . रेस्टोरंट में भी अब 18 प्रतिशत टैक्स होगा जो लगभग 22 प्रतिशत था.	जुआ / केसिनो : जुआ के शौक वाले लोगों को अब 28 प्रतिशत का अधिक कर देना होगा।
मनोरंजन : लगभग सभी राज्य में फिल्म देखने के टैक्स को 18 प्रतिशत किया जाएगा जो ज्यादातर राज्यों में, फिल्मों पर टैक्स करीब 22-25 फीसदी है.	**घरेलू उपकरणों** : जीएसटी लागू होने पर एयर कंडीशनर, टीवी और वॉशिंग मशीनों पर ज्यादा कर लगेगा.
व्यक्तिगत देखभाल : साबुन, बाल तेल और टूथपेस्ट जैसी दैनिक उपयोग उत्पादों को 18 प्रतिशत कर पर सस्ता होने के लिए तैयार है। वे वर्तमान में 24-28 प्रतिशत पर कर लगाए जाते हैं।	**एफएमसीजी** : साबुन और टूथपेस्ट सस्ता होने पर, अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे शैंपू और डिओडोरेंट जीएसटी के बाद ज्यादा महंगे होंगे।
वायु यात्रा : अर्थव्यवस्था वर्ग के लिए, हवाई किराए की कीमत 5 प्रतिशत कर के साथ कम होने की संभावना है। बिजनेस क्लास के लिए 12% जीएसटी होगा।	**धातु और निर्माण** : जीएसटी के तहत धातु, खनन और सीमेंट महंगा हो जाएगा।
दूरसंचार : दूरसंचार सेवाएं और उत्पाद शुल्क में सस्ता होने की संभावना है।	**सिन आइटम्स** : सोडायुक्त पेय, तम्बाकू, विलासिता के सामान पर 28 प्रतिशत GST लगाया जाएगा।
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ : ये जीएसटी के तहत 5 प्रतिशत कर आकर्षित करेंगे, जो कि वर्तमान में 15 प्रतिशत की गिरावट है	**शुल्क**: स्कूल की फीस, कूरियर सेवाएं, मोबाइल शुल्क, बीमा प्रीमियम, बैंकिंग शुल्क, वाई-फाई, डायरेक्ट-टू-होम सेवाएं महंगा हो जाएंगी
geekhindi.com	**एयर टिकट**: बिजनेस क्लास की एयर टिकट जीएसटी के तहत ज्यादा महंगी हो जाएगी।

जीएसटी में Inter State Supply और Intra State Supply क्या है ?

Gst में गुड्स की सप्लाई को 2 पार्ट्स में बांटा गया है - (1) Intra State और (2) Inter State .

यदि गुड्स एक राज्य के भीतर ही सप्लाई किये जाते है तो इसे Intra State सप्लाई माना जायेगा और इस पर SGST और CGST लगाया जायेगा। और यदि गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई किये जाते है तो इसे Inter State supply माना जायेगा और इस पर IGST चार्ज किया जायेगा।

IGST की रेट SGST और CGST दोनों की रेट के बराबर होती है।

यदि गुड्स भारत के बाहर सप्लाई किये जा रहे है या सेज़ डेवलपर या सेज़ यूनिट को या उनके द्वारा सप्लाई किये जा रहे है, तो इसे भी Inter State supply माना जायेगा और इस ट्रांजैक्शन पर IGST चार्ज किया जायेगा।

Gst में नहीं आने वाले प्रोडक्ट्स

जीएसटी सभी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जायेगा लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को अब तक इसमें शामिल नहीं किया गया है -

1. Alcoholic Liquor For Human Consumption
2. Petroleum Crude
3. High Speed Diesel
4. Motor Spirit
5. Natural Gas
6. Aviation Turbine Fuel

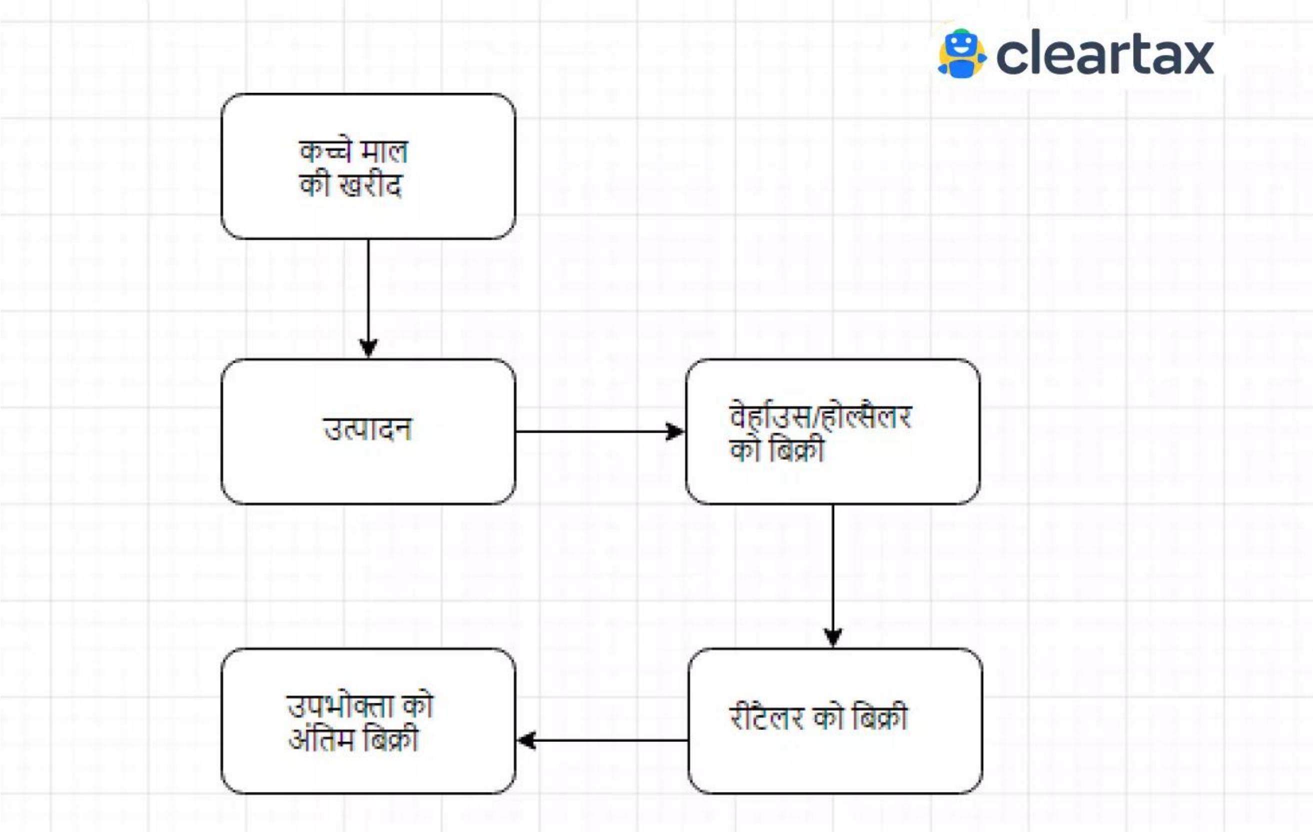

इन चरणों में जी एस टी लगाया जाएगा, और यह एक बहु-स्तरीय टैक्स होगा। कैसे? हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आइए हम 'वैल्यू ऐडिशन' के बारे में बात करें। मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है | इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा | तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है | यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है | इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ौती होती है |

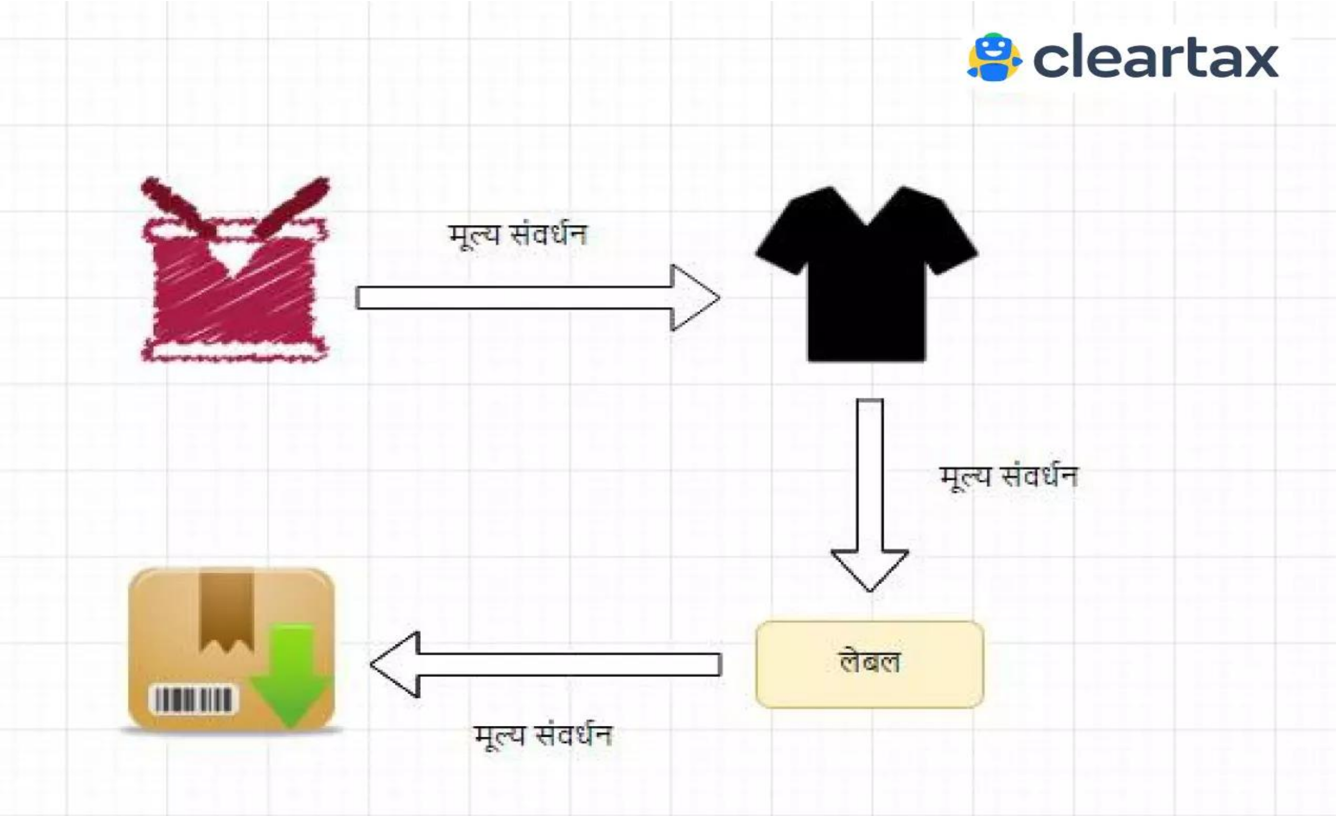

वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा। वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो करों में विभाजित है - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर | प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स का भार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। भूतपूर्व कर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक पर

कर का भार ट्रान्सफर सकता है |उसके अनुसार, भूतपूर्व कर प्रणाली के तहत, ग्राहक आइटम की कीमत और वैट का भुगतान किया करते थे ताकि दुकानदार वैट को एकत्र कर सरकार को भुगतान कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक कीमत देनी पड़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के लिए और साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए, वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है जिसकी वजह से ग्राहक को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।लेन-देन के दौरान दुकानदार अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक को टैक्स का भार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जी एस टी कैसे काम करेगी?

सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता है। जी एस टी कौंसिल ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित करके, इसे लागू करने का एक नियम तैयार किया है।

जी एस टी में 3 प्रकार के टैक्स हैं :

CGST-**सीजीएसटी:** जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

लेन-देन	वर्तमान प्रणाली	पुराने नियम	व्याख्या
राज्य के भीतर बिक्री	सीजीएसटी + एसजीएसटी	वैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर	राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा
दूसरे राज्य को बिक्री	आईजीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क / सेवा कर	अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर (केंद्रीय) होगा।

POWERED BY---------महा गौरी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान
TALLY.ERP9 WITH GST.

SGST-एसजीएसटी: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

IGST **आईजीएसटी**: जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा ज्यादातर मामलों में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी:

उदाहरण महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर शामिल है।ऐसे मामलों में डीलर 1800 रूपए जमा करता है और इस राशि में 900 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में 1800 रूपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत और आम आदमी की मदद जी एस टी कैसे करेगा?

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है।विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है |यहां विस्तृत विवरण दिया गया है।

इसे समझने के लिए, पहले समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है।यह वह क्रेडिट है जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर दिया गया कर के लिए प्राप्त होता है।इसके बाद शेष राशि सरकार को जमा करनी होगी |हम इसे एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक शर्ट निर्माता कच्चे माल खरीदने के लिए 100 रुपये का भुगतान करता है। यदि करों की दर 10% पर निर्धारित है, और इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं है, तो उसे कर के रूप में 10 रूपये का भुगतान करना होगा। तो, शर्ट की अंतिम लागत अब (100 + 10 =) 100 रुपये हो जाती है |अगले चरण में, थोक व्यापारी 110 रुपये में निर्माता से शर्ट खरीदता है, और उस पर लेबल जोड़ता है। जब वह लेबल जोड़ रहा है, वह मूल्य जोड़ रहा है। इसलिए, उसकी लागत 40 रुपए (अनुमानित) से बढ़ जाती है |इसके ऊपर, उसे 10% कर का भुगतान करना पड़ता है, और अंतिम लागत इसलिए हो जाती है (110 + 40 =) 150 + 10% कर = 165 रूपये |

अब, फुटकर विक्रेता या रिटेलर थोक व्यापारी से शर्ट खरीदने के लिए 165 रुपये का भुगतान करता है क्योंकि कर दायित्व उसके पास आया था। उसे शर्ट पैकेज करना पड़ता है, और जब वह ऐसा करता है, तो वह फिर से मूल्य जोड़ रहा है। इस बार, मान लें कि उनका मूल्य अतिरिक्त 30 रूपये है। अब जब वह शर्ट बेचता है, तो वह इस मूल्य को अंतिम लागत (और वैट जिसे वह सरकार को देना होगा) में जोड़ता है |इसके साथ ही उसे सरकार को देय वैट जोड़ना होगा |तो, शर्ट की लागत 214.5 रुपए हो जाती है |इस का एक ब्रेक अप देखते हैं: लागत = रु 165 + मान जोड़ = रु 30 + 10% कर = रु 195 + 19.5 = 214.5 रुपये इसलिए, ग्राहक एक शर्ट के लिए 214.5 रुपये का भुगतान करता है, जिसकी कीमत मूल रूप से केवल 170 रुपये (110 + 40 + 30 रुपये) थी।

ऐसा होने के लिए, कर दायित्व हर बिक्री पर पारित किया गया था और अंतिम दायित्व ग्राहक के पास आ गया। इसे करों का व्यापक प्रभाव कहा जाता है जहां टैक्स के ऊपर टैक्स का भुगतान किया जाता है और आइटम का मूल्य हर बार बढ़ता रहता है।

कार्य	**लागत**	**10% कर**	**कुल**
कच्चे माल खरीदना @ 100	100	10	110
उत्पादन @ 40	150	15	165
मूल्य जोड़ें @ 30	195	19.5	214.5
कुल	170	44.5	214.5

जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का एक तरीका है। इसमें, जिस व्यक्ति ने कर चुकाया है, वह व्यक्ति अपने करों को जमा करते समय, भुगतान किये हुए कर के क्रेडिट का दावा कर सकता है। हमारे उदाहरण में, जब थोक व्यापारी उत्पादक से खरीदता है, तो वह अपनी लागत क़ीमत पर 10% कर देता है क्योंकि उसके पास एक देय राशि है | फिर उन्होंने 100 रुपये की लागत मूल्य में 40 रुपये का मूल्य जोड़ा और इससे उनकी आइटम क़ी क़ीमत 140 रुपये हो गई। अब उसे इस कीमत का 10% सरकार को कर के रूप में देना होगा। लेकिन उन्होंने पहले ही निर्माता को एक कर का भुगतान किया है। इसलिए, इस बार वह क्या करता है, सरकार को टैक्स के रूप में (140% के 10% = 14) का भुगतान करने की बजाय वह पहले से भुगतान की गई राशि को घटा देता है | इसलिए उसकी 14 रुपए की नई देय राशि से वह 10 रुपए कटौती करता है और सरकार को केवल 4 रुपए का भुगतान करता है | तो 10 रुपए उसका इनपुट क्रेडिट हो जाता है। जब वह सरकार को 4 रुपये का भुगतान करता

है, तो वह रिटेलर को 14 रुपए का देय राशि ट्रांसफर करता है, ।अगले चरण में, रिटेलर ने अपने लागत मूल्य में 30 रुपये का मूल्य जोड़ा और सरकार को इस पर 10% कर का भुगतान किया। जब वह मूल्य जोड़ता है, तो उसकी कीमत 170 रुपये हो जाती है | अब, अगर उसे उस पर 10% कर देना पड़ता है, तो वह वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है। लेकिन रिटेलर के पास इनपुट क्रेडिट है क्योंकि उसने थोक व्यापारी को टैक्स के रूप में 14 रुपये में भुगतान किया है। इसलिए, अब वह अपनी कर देय राशि को (170% = 170) = 17 रूपए से 14 रुपए तक कम कर देता है और उसे सरकार को केवल 3 रुपए का भुगतान करना पड़ता है।और इसलिए, वह अब ग्राहक को यह शर्ट (140 + 30 + 17 =) 187 रुपये में बेच सकता है।

कार्य	**लागत**	**10% कर**	**वास्तविक देयता**	**कुल**
कच्चे माल खरीदना @ 100	100	10	10	110
उत्पादन @ 40	140	14	4	154
मूल्य जोड़ें @ 30	170	7	3	187
कुल	170		17	187

अंत में, हर बार जब कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्षम होता है, तो उसके लिए बिक्री मूल्य कम हो जाता है | और उसके उत्पाद पर कम कर दायित्व के कारण लागत मूल्य भी कम हो जाता है। शर्ट का अंतिम मूल्य भी 214.5 रुपये से 187 रुपये कम हो गया, इस प्रकार अंतिम ग्राहक पर कर का बोझ कम हो गया। इसलिए अनिवार्य रूप से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दो तरह से लाभ होता है। पहला, यह करों के

महा गौरी

व्यापक प्रभाव को कम करेगा और दूसरा, इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति के द्वारा, यह कर के बोझ को कम करेगा और, उम्मीद है, कीमतें भी कम हो जाएंगी।

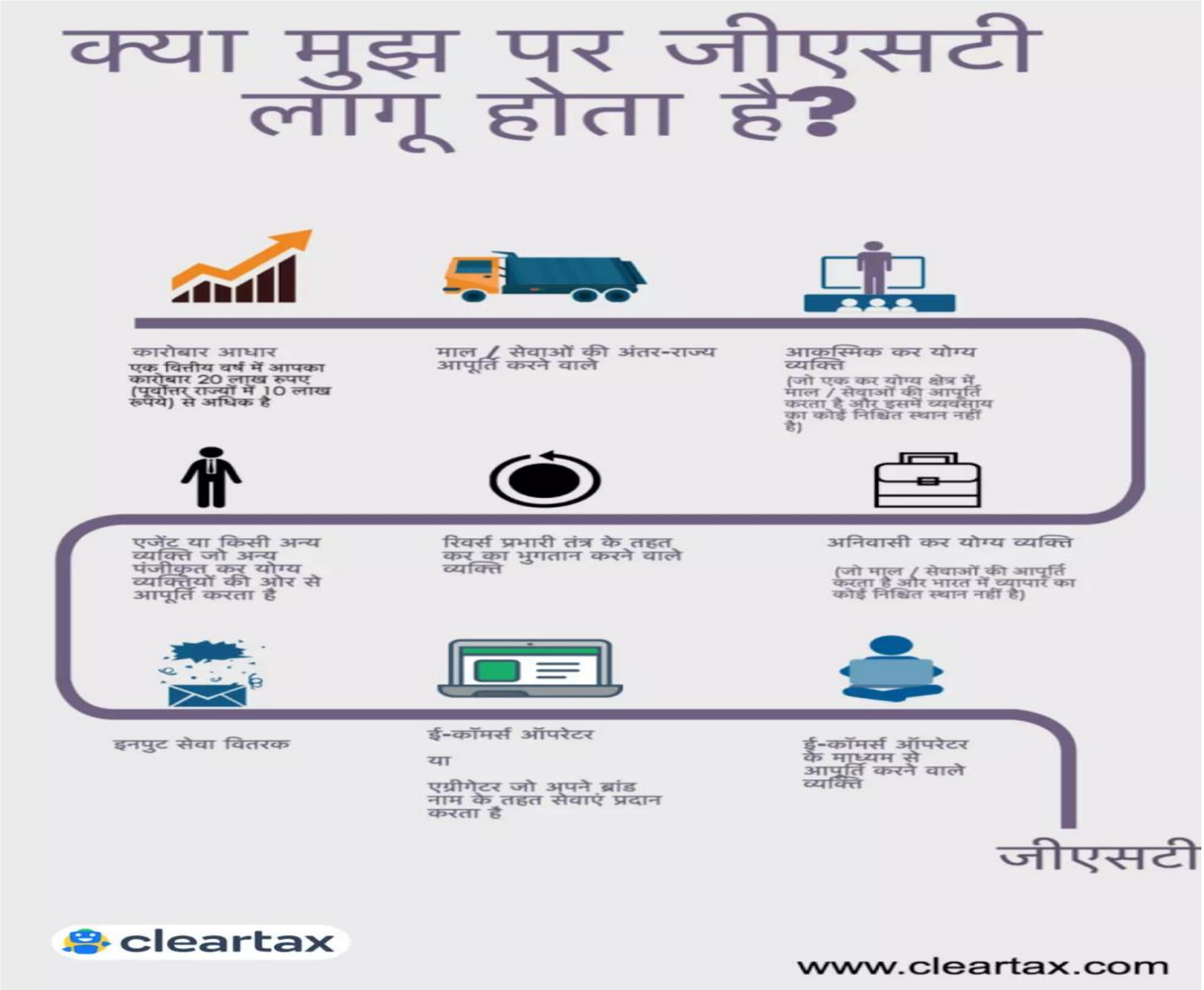

जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होगा। **व्यवसायों में शामिल हैं** – व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय या किसी अन्य समान कार्यवाही, इसकी पसार या प्रायिकता के बावजूद। इसमें व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के लिए माल / सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है। **सेवाओं का मतलब** वस्तु के अलावा कुछ भी है। यह संभावना है कि सेवाएं और सामान एक अलग जीएसटी दर होगी।

जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू होगा | **व्यक्तियों में शामिल हैं** – व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) , कंपनी, फर्म, एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी), एओपी, सहकारी सोसायटी, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि। हालांकि, जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी। **कृषि में** फूलों की खेती, बागवानी, रेशम उत्पादन, फसलों, घास या बगीचे के उत्पादन शामिल हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग (दूध का व्यापार), मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन (पशु-अभिजननक्षेत्र), फल या संगमरमर या पौधों के पालन में शामिल नहीं है। **जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी** जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैन अनिवार्य है। हालांकि, अनिवासी व्यक्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है एक पंजीकरण प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होगा। करदाता राज्य में अपने अलग-अलग बिजनेस वर्टिकल (व्यापार ऊर्ध्वाधर) के लिए अलग-अलग पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं।

निम्नलिखित मामलों में जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है - **कारोबार आधार** वित्तीय वर्ष में आपके कारोबार की सीमा 20 लाख रुपए (कुछ मामलों में रु. 40 लाख) से अधिक होने पर जीएसटी एकत्र करना और भुगतान करना होगा। [कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सीमा 10 लाख है] यह सीमा जीएसटी के भुगतान के लिए लागू होती है। “कुल कारोबार” का मतलब सभी कर योग्य आपूर्ति, मुक्ति की आपूर्ति, वस्तुओं के निर्यात और / या सेवाओं और एक समान पैन वाले व्यक्ति की अंतर-राज्य की आपूर्ति को सभी भारत के आधार पर गणना करने और करों को शामिल करने के लिए (यदि कोई हो) सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत देय होगा। **अन्य मामले [कारोबार के बावजूद जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है]**

- माल / सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले
- कोई भी व्यक्ति जो एक कर योग्य क्षेत्र में माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और इसमें व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है - जिसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है | ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।

- कोई भी व्यक्ति जो माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है - जिसे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
- रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को | रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब है कि जहां सामान / सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करना पड़ता है।
- एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति करता है
- वितरक या इनपुट सेवा वितरक | इस व्यक्ति के पास आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में एक ही पैन है। यह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के एक अधिकारी है, वह सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी के ऋण को वितरित करने के लिए आपूर्ति और टैक्स चालान को प्राप्त करता है।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर (इ-व्यवसाय)
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (ब्रांडेड सेवाएं को छोड़कर)
- एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं प्रदान करता है
- भारत में एक व्यक्ति को भारत से बाहर एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा)

जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें

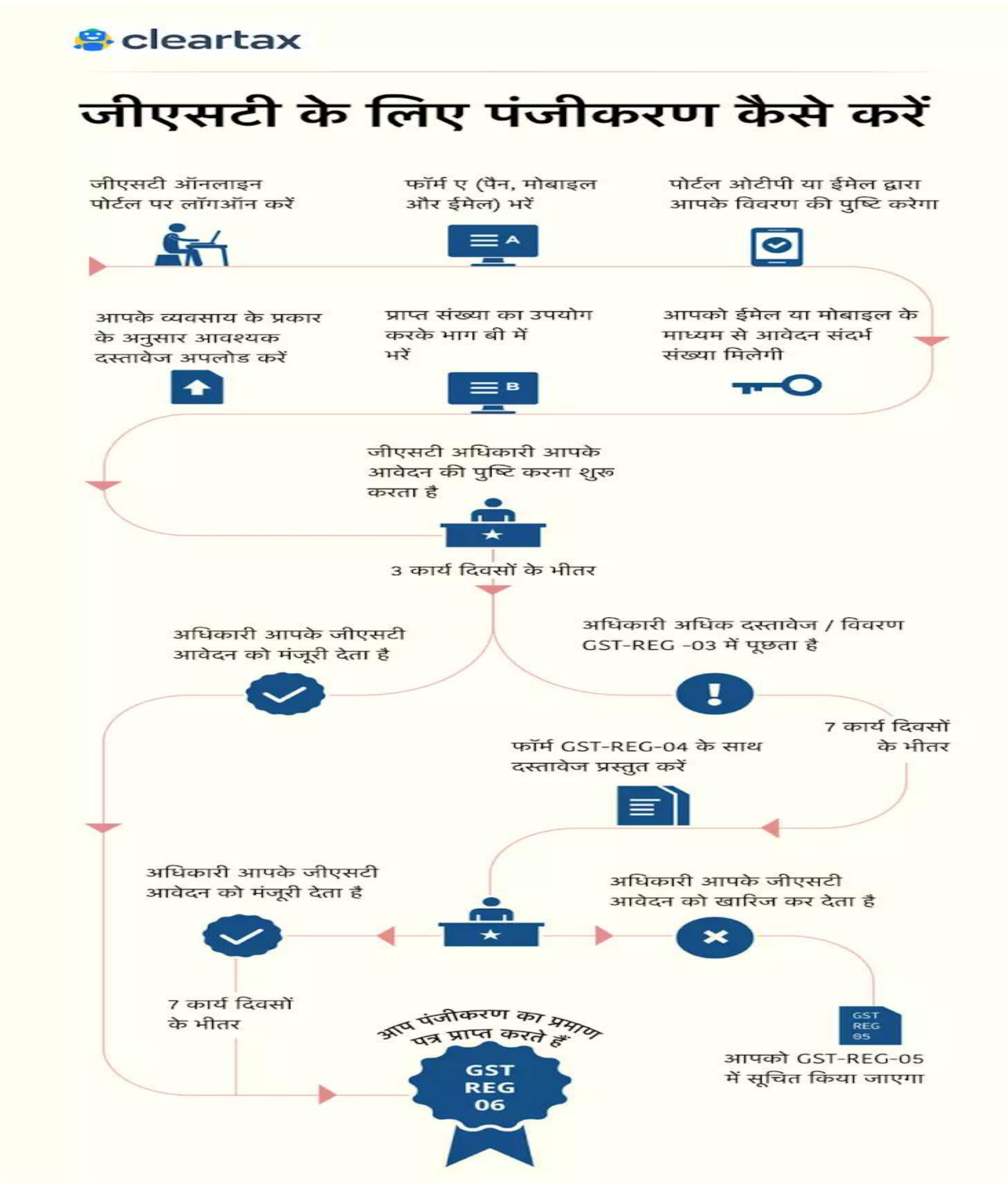
cleartax
जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें
जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगऑन करें
फॉर्म ए (पैन, मोबाइल और ईमेल) भरें
पोर्टल ओटीपी या ईमेल द्वारा आपके विवरण की पुष्टि करेगा
आपको ईमेल या मोबाइल के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या मिलेगी
प्राप्त संख्या का उपयोग करके भाग बी में भरें
आपके व्यवसाय के प्रकार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
जीएसटी अधिकारी आपके आवेदन की पुष्टि करना शुरू करता है
3 कार्य दिवसों के भीतर
अधिकारी आपके जीएसटी आवेदन को मंजूरी देता है
अधिकारी अधिक दस्तावेज / विवरण GST-REG -03 में पूछता है
7 कार्य दिवसों के भीतर
फॉर्म GST-REG-04 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करें
अधिकारी आपके जीएसटी आवेदन को मंजूरी देता है
अधिकारी आपके जीएसटी आवेदन को खारिज कर देता है
7 कार्य दिवसों के भीतर
आप पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं
GST REG 06
GST REG 05
आपको GST-REG-05 में सूचित किया जाएगा

जीएसटी पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

- फोटो
- करदाता का संविधान
- व्यापार स्थान के सबूत
- बैंक खाता विवरण
- प्राधिकरण फार्म

जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने के लिए दंड

कोई भी अपराधी जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा है या कम भुगतान करता है, उसे देय कर राशि का 10% (जिसमें से 10000 न्यूनतम राशि है) जुर्माना देना होगा | जहां एक संकल्पित करवंचन देखा गया वहां अपराधी को देय कर राशि का 100% जुर्माना देना होगा | हालांकि, अन्य वास्तविक त्रुटियों के लिए, जुर्माना कर का 10% है।

GST के तहत नए अनुपालन क्या हैं?

जीएसटी रिटर्न के ऑनलाइन फाइलिंग के अलावा, जीएसटी शासन ने इसके साथ कई नई प्रणालियों को पेश किया है।

ई-वे (e-Way) बिल

जीएसटी ने "ई-वे बिल" की शुरुआत के द्वारा एक तरह से केंद्रीकृत प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली को 1 अप्रैल 2018 को सामान की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए और 15 अप्रैल 2018 को सामान की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए शुरू किया गया था।

ई-वे बिल प्रणाली के तहत, निर्माता, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ़ ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक ले जाने वाले सामान के लिए ई-वे बिल जेनरेट कर सकते हैं जो कि एक आम पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हैं। कर अधिकारियों को भी इससे लाभ होता है क्योंकि इस प्रणाली से चेकपोस्ट पर कम समय लगता है और कर चोरी को कम करने में मदद मिलती है।

ई-इनवॉइसिंग (e-Invoicing)

ई-इनवॉइसिंग प्रणाली को 1 अक्टूबर 2020 से उन व्यवसायों के लिए लागू किया गया था, जिनका किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष (2017-18 से) में 500 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2021 से, इस प्रणाली को उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया, जिनका वार्षिक कुल कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक है। वर्तमान में, इसे 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कुल कारोबार वाले लोगों के लिए बढ़ाया गया है।

इन व्यवसायों को GSTN के चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करके प्रत्येक बिज़नेस-to-बिज़नेस चालान के लिए एक यूनिक इनवॉइस रिफरेन्स नंबर प्राप्त करनी चाहिए। पोर्टल चालान की सत्यता और वास्तविकता की पुष्टि करता है। इसके बाद, यह एक क्यू आर कोड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने को अधिकृत करता है।

ई-इनवॉइसिंग इनवॉइस की इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति देता है और डाटा एंट्री एरर्स को कम करने में मदद करता है। इसे आईआरपी से सीधे जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल पर चालान की जानकारी ट्रांसफर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, यह GSTR-1 दाखिल करते समय मैन्युअल डाटा एंट्री की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और ई-वे बिल के निर्माण में भी मदद करेगा।

HOW TO SET GST RATE SETUP IN TALLY.ERP9

Refer below step by step procedure to activate GST in Tally

Step 1: From Gateway of Tally, click on **F11: Features** or press function key **F11**

.

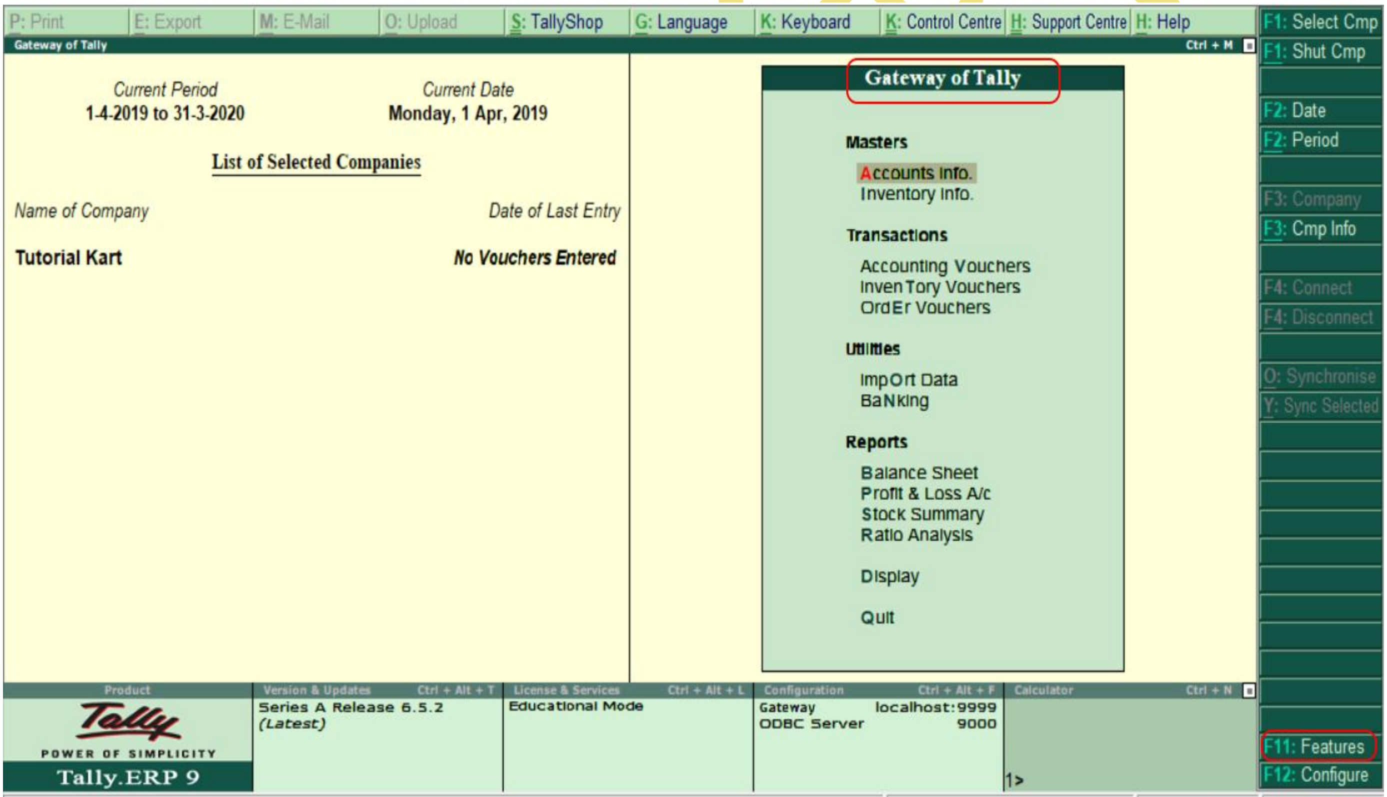

Step 2: Under company features options, choose **Statutory & Taxation** or press function key **F3**.

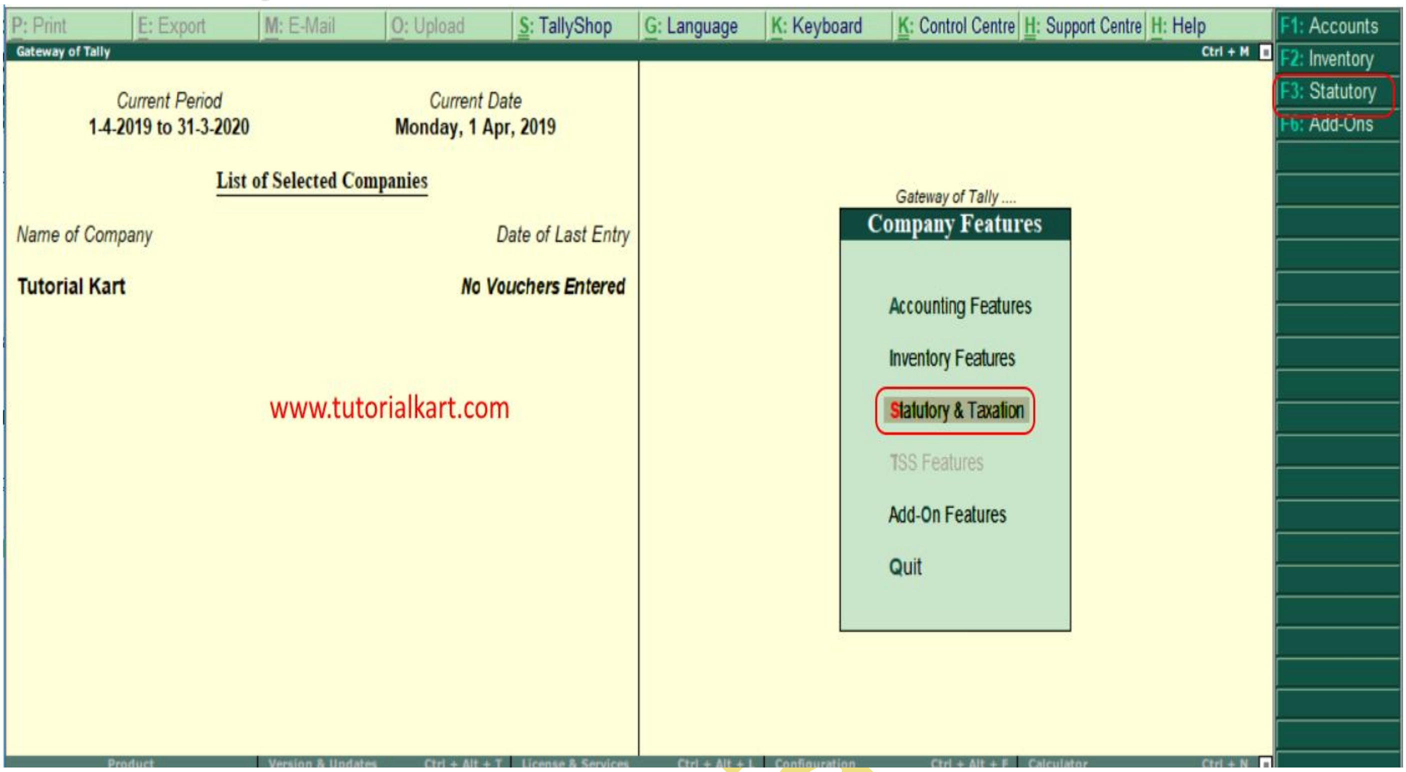

Step 3: In next screen company operation alteration, enter the following details.

- Enable Goods and Services Tax (GST: Yes
- Set/alter GST details: Yes

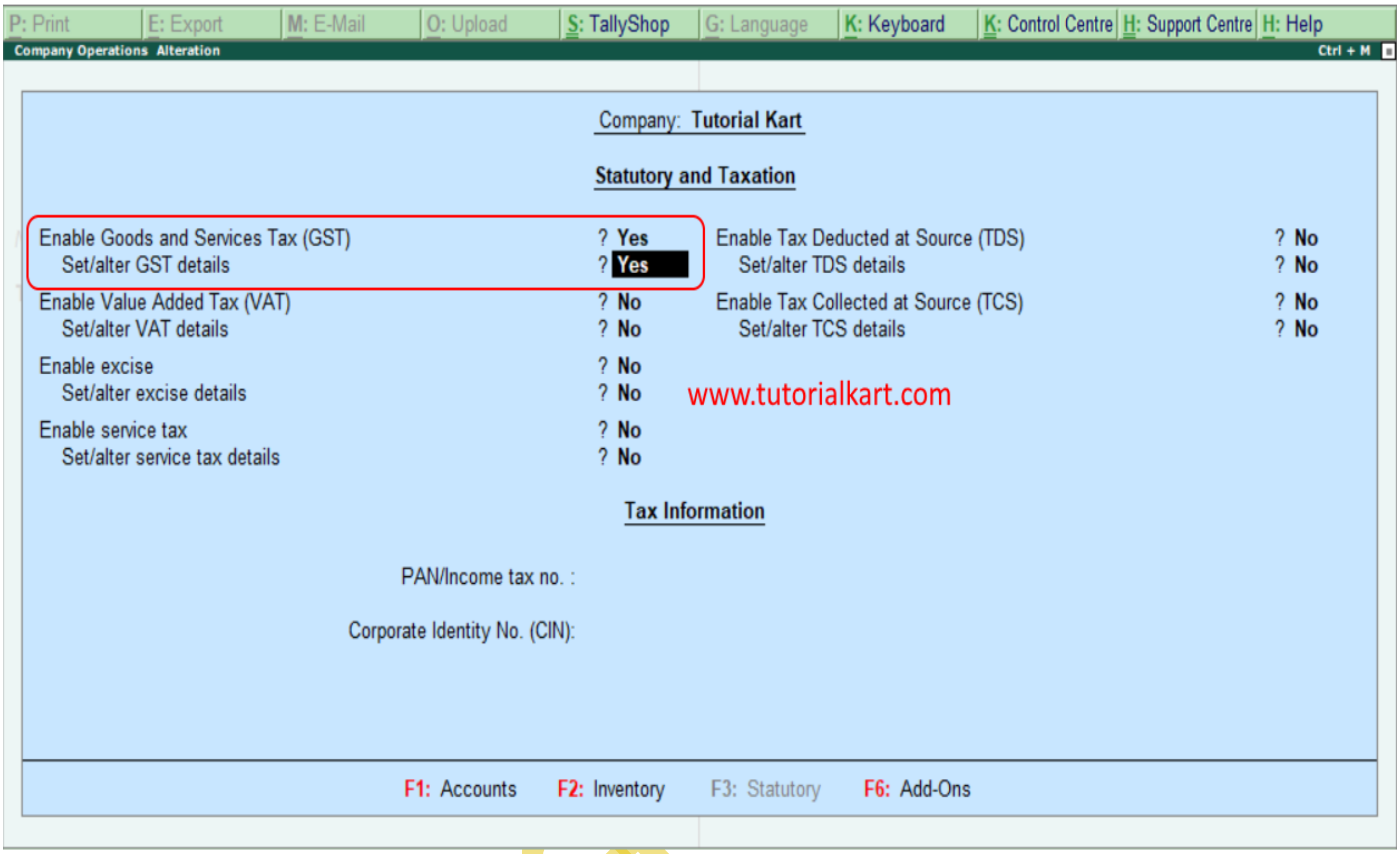

Step 3: When you enable “Yes” for Set/alter GST details, the following screen appears.

Step 4: Now you need to update all the required details of GST.

- **State**: It automatically displays state name based on the state you have updated in company.
- **Registration Type**: Choose GST registration type as “Composition” or “Regular.
- **GSTIN/UIN**: Update the Goods and Services Tax India (GSTIN) number, this GSTIN can be printed on invoices.
- **Applicable from**: Enter the date that GST will be applicable from for transactions.
- **Periodicity of GST**: Enter the periodicity of GST as Monthly or Quarterly as per requirements of company.
- **e-Way bill applicable**: Choose this option as “Yes”
  - Applicable from: Enter the date that e-way bill to be applicable from
  - Threshold limit includes: It can be based on invoice value / taxable and exempt goods value / taxable goods value
  - Threshold limit: Enter the amount value of threshold limit allowed
  - Applicable for intrastate: Choose option as “Yes”, if it is applicable to your state
  - Threshold limit: Enter threshold limit for intraste
- **Enable tax liability on advance receipts**: Choose “Yes” to activate tax liability on advance receipts
- **Set/alter GST rate details**: Choose Yes to set or alter GST rate details at company level.
- **Enable GST classifications**: Choose Yes to activate GST classifications.

महा गौरी कंप्यूटर

Company: Tutorial Kart

GST Details

www.tutorialkart.com

State	:	Andhra Pradesh
Registration type	:	Regular
Assessee of Other Territory	?	No
GSTIN/UIN	:	29ALAAA12345A12
Applicable from	:	1-Apr-2019
Periodicity of GSTR1	:	Monthly
e-Way Bill applicable	?	Yes
Applicable from	:	1-Apr-2019
Threshold limit includes	:	Invoice value
Threshold limit	:	50,000
Applicable for intrastate	?	Yes
Threshold limit	:	50,000
Enable tax liability on advance receipts	?	Yes
Enable tax liability on reverse charge *(Purchase from unregistered dealer)*	?	No
Set/alter GST rate details	?	Yes
Enable GST Classifications	?	Yes
Provide LUT/Bond details	?	No

After entering all the required details for activation of GST in Tally, choose "Yes" to accept the data and save the details in Tally.

POWERED BY---------महा गौरी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

TALLY.ERP9 WITH GST.

JUST GO TO GATE WAY OF TALLY

TALLY→GATE WAY OF TALLY-> INVENTORY INFO.

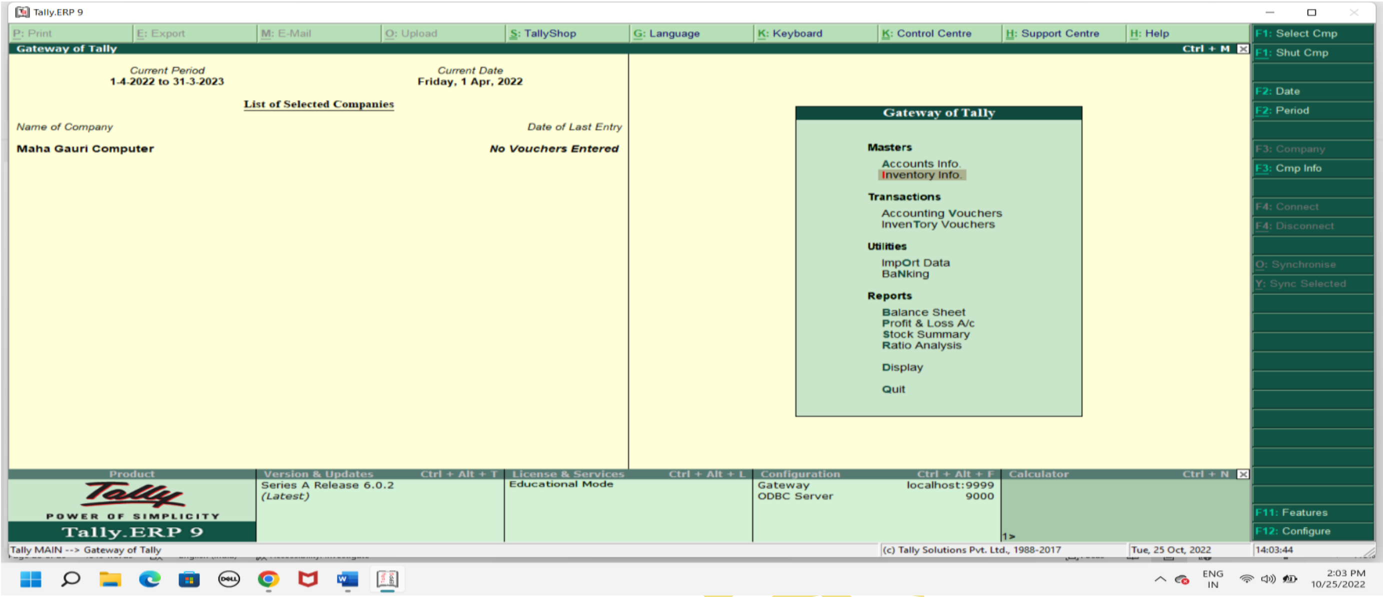

INVENTORY INFO→STOCK GROUPS→SINGLE STOCK GROUP→CREATE

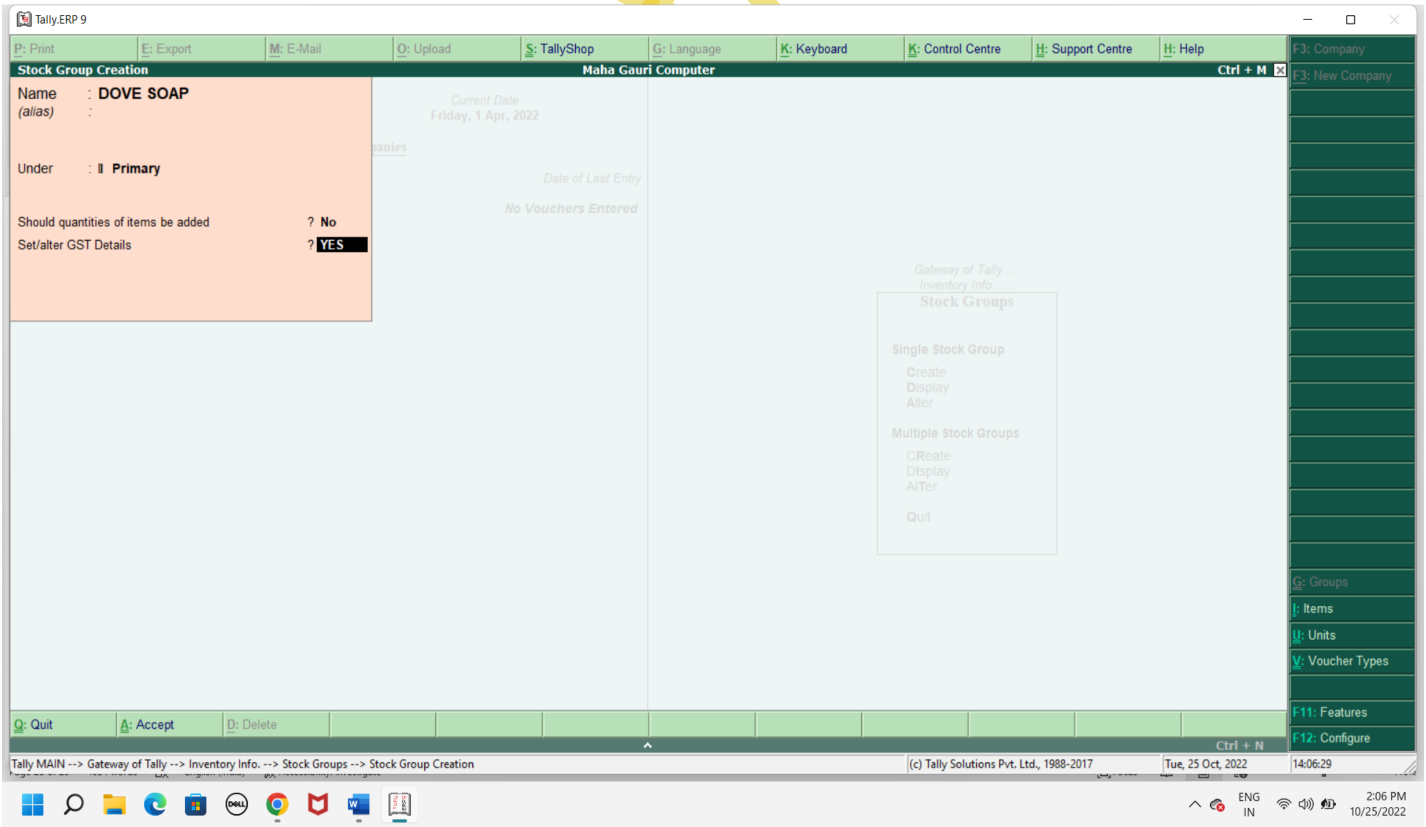

- **SET/ALTER GST DETAILS-YES**

  TAXABILITY-------TAXABLE

- **TAX TYPE**

  INTIGRATED TAX→ 12%

  CENTRAL TAX→ 6%

  STATE TAX→ 6%

  CESS → 0%

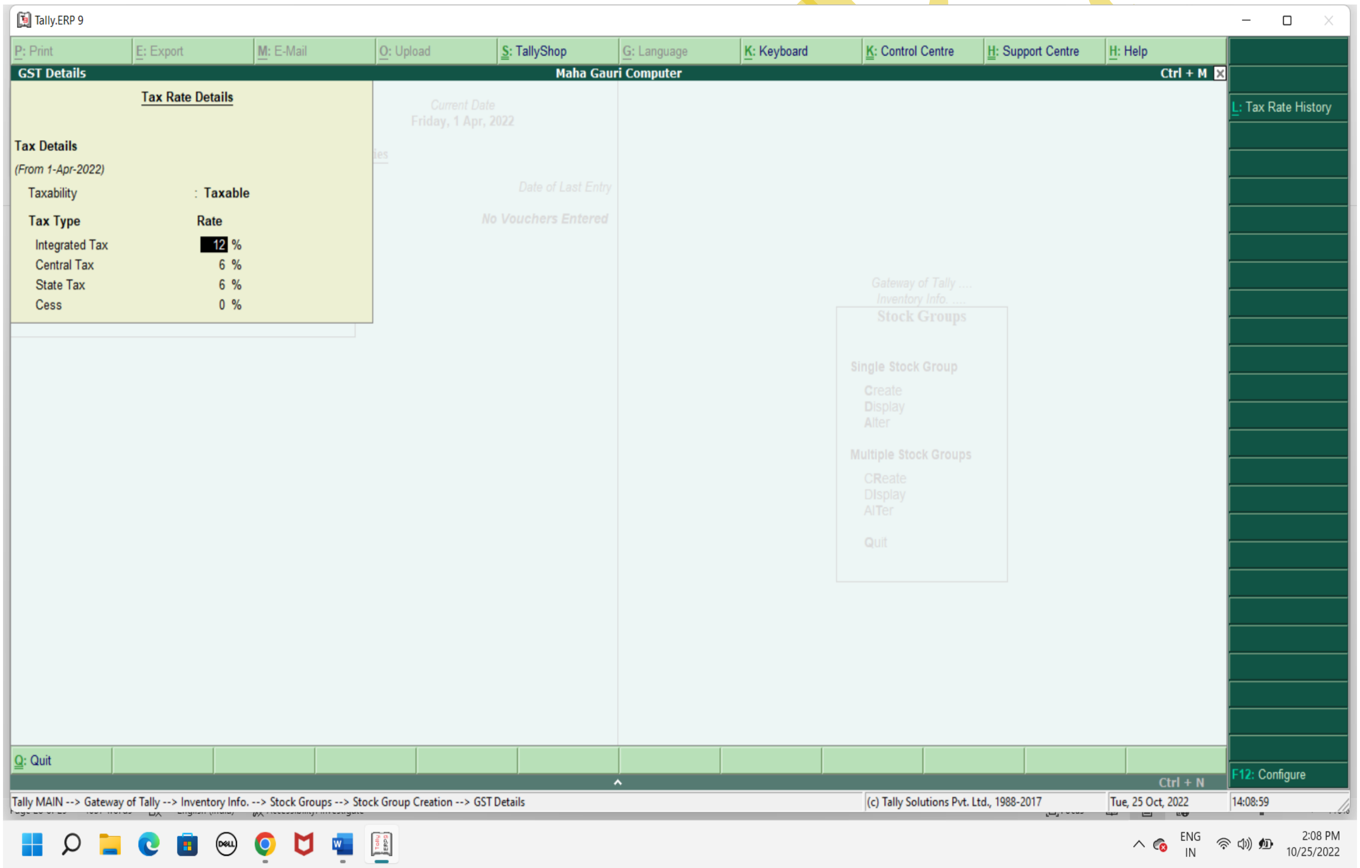

FINALY SAVE OR ACCEPT.

THEN JUST GO TO STOCK ITEMS CREATION

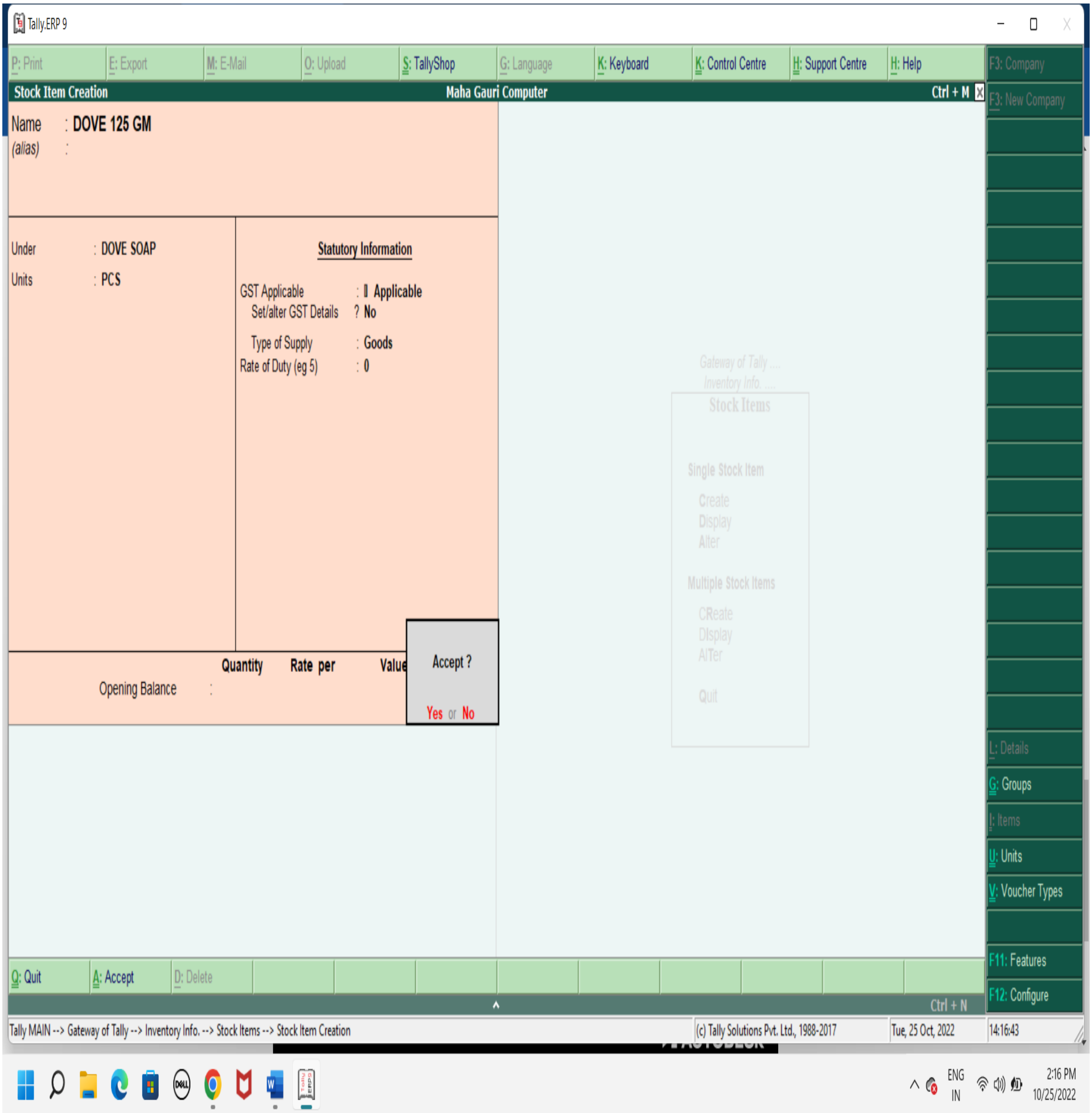

HOW TO CHEK GST RATE SETUP

GO TO GATE WAY OF TALLY-

INVENTORY INFO→TAX RATE SETUP→GST→ENTER→ALT F1

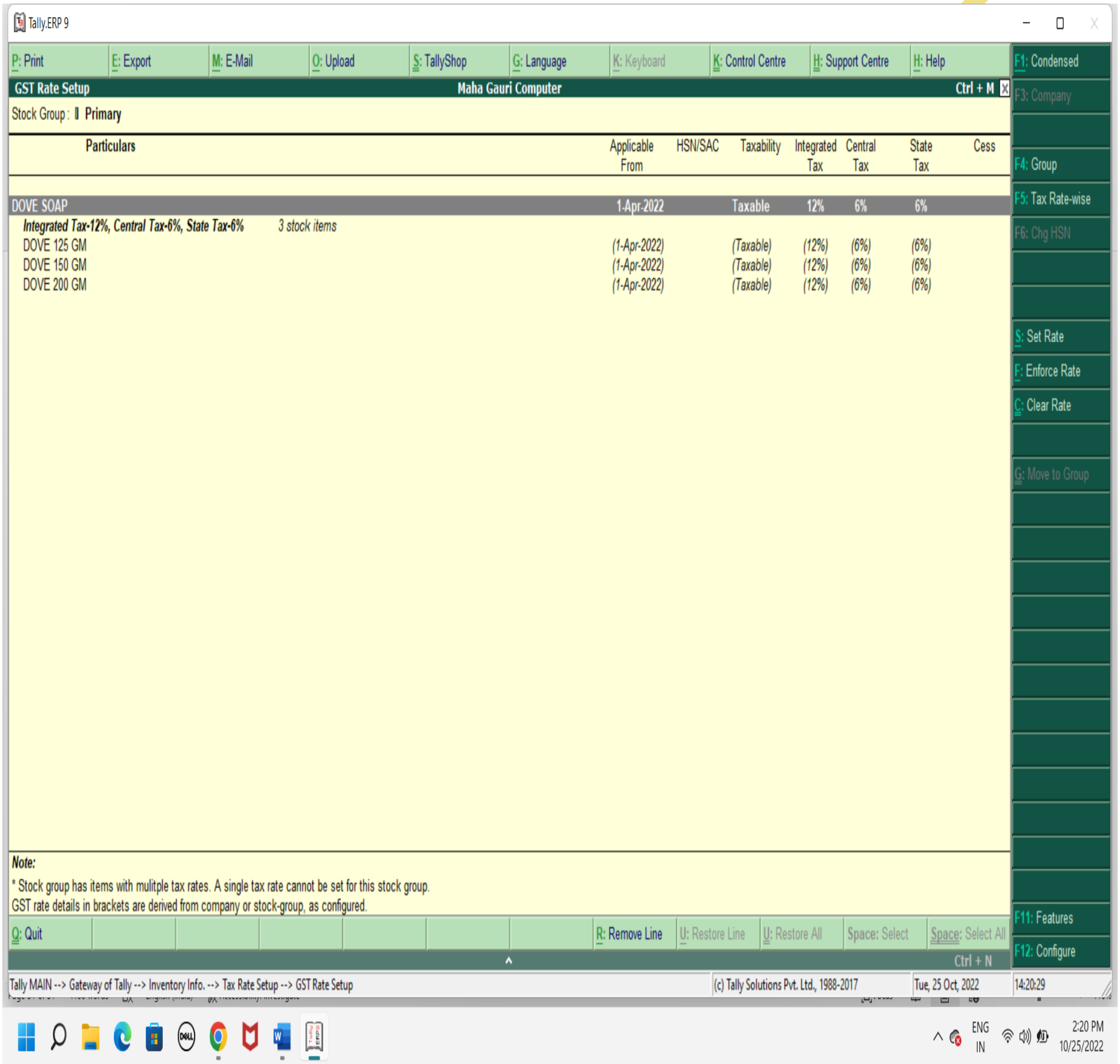

महा गौरी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के ऑनलाइन एप्लीकेशन समझ अप्प ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद!

IF UNHAPPY-PLEASE TELL US

IF HAPPY PLEASE TELL OTHERS

हम आशा करते है की हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे फिर भी अगर आपको और बेहतर तरीके से इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षकों से जुड़कर और बेहतर तरीके से समझ सकते है हमारे शिक्षक हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है!

धन्यवाद

महा गौरी कंप्यूटर